

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०

Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001

दूरभाष / Phone : - +91-612-2222622 फ़ैक्स नं० / Fax No: - 0612-2506218

CIN: U63040BR1980SGC001486, Web: www.bstdc.bih.nic.in E-mail: contactbstdc@gmail.com



सं.सं. : 02 / 42 / वि. / स्था. / 14-15 / पार्ट-2 / 1315 / 19

दिनांक :-20.09.2019

विज्ञप्ति

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के अधीन निम्न पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन :-

कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29/03/2010 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक - 10000 दिनांक 10/07/2015 के प्रावधानों के आलोक में महालेखाकार कार्यालय एवं बिहार सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त निम्नलिखित इच्छुक पदाधिकारियों/ कर्मियों से विहित प्रपत्र में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	धारित योग्यता
1	उप महाप्रबंधक (वि. एवं ले.)	01	महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत्त वरीय लेखा पदाधिकारी से अन्यून न हो।
2	सहायक अभियंता (असैनिक)	02	बिहार सरकार सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (असैनिक)। धारित पद सहायक अभियंता से अन्यून न हो।

संविदा चयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा :-

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 63 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा संविदा पर रहने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी, जो आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।
2. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होनेवाले अन्तिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद अथवा Negotiation के आधार पर मानदेय देय होगी।
3. सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/ पेंशन पुनरीक्षण हो जाने के स्थिति में भी निर्धारित मानदेय परिवर्तित रहेगा।
4. उप महाप्रबंधक (वि. एवं ले.) के लिए विगत तीन वर्ष प्रशासनिक कार्यों तथा वित्त एवं लेखा के कार्यों का कार्यानुभव।
5. नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किए जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

6. नियोजित कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर संविदा नियोजन रद्द की जा सकेगी।
7. नियोजन में निकट के वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मियों को प्राथमिकता सूची में उपर रखा जाएगा।
8. निम्नांकित कर्मियों की सेवा नहीं ली जाएगी :-
 - (क) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा है।
 - (ख) जिन कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है।
 - (ग) जिन पर कोई गंभीर विचाराधीन हो।
 - (घ) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।
(नोट :- क्रमांक "क" से "घ" तक के संबंध में शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा)
9. सेवानिवृत्त इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में दिनांक **09/10/2019** के अपराह्न **4.00** बजे तक निगम के कार्यालय में अपना आवेदन निबंधित/ हाथों-हाथ समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. आवेदन के साथ पी.पी.ओ. (यदि निर्गत हो) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सेवापुस्त की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
11. नियमानुसार आरक्षण नियमावली का पालन किया जाएगा।
12. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

ह०/-
प्रबंधक प्रशासन,
बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट
कॉ० लि०, पटना।

विहित प्रपत्र

- 1 आवेदक का नाम
- 2 पद का नाम
- 3 विभाग/कार्यालय का नाम
(जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं)
- 4 जन्म तिथि
- 5 सेवानिवृत्ति की तिथि
- 6 अंतिम वेतन
1. वेतनमान
2. मूल वेतन
3. ग्रेड पे
- 7 सेवानिवृत्ति को धारित पद
- 8 पेंशन स्वीकृति की स्थिति
1. स्वीकृत
2. स्वीकृत नहीं
3. औपबधिक स्वीकृत
(सही का निशान लागवे तथा आदेश की
प्रति संलग्न करें)
- 9 पेंशन की स्वीकृत राशि
- पेंशन+मंहगाई सहत आदि (कुल
जोड़कर)
- 10 सेवानिवृत्ति की तिथि या पूर्व में
आरोप/विभागीय कार्यवाही की स्थिति
- 11 आरक्षण कोटि
(1) अनुसूचित जाति (2) अनुसूचित जनजाति (3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (4) पिछड़ा वर्ग
(5) पिछड़ा वर्ग (महिला) (6) सामान्य (सही का निशान लागवे तथा जाति अंकित करे)
आरोप के निष्पादन की स्थिति /अधिरापित
- 12 दण्ड का विवरण
- 13 वर्तमान पता (मोबाइल नं0 के साथ)
- 14 स्थायी पता
- 15 घोषण पत्र
एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की
स्थिति में मेरी उम्मीदिवारी संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर